FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण (पाली)

सायलान :–कमला पत्नि रामा **बनाम** गैर सायलान :– रामा पुत्र हीरा वगैरह

किस्म मुकदमा **राजस्व वाद पत्र** नं. 201 /सन 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.10.17	अधिवक्ता वदी उपस्थित राजस्व वाद संख्या 201/12 की मूल पत्रावली अनवान कमला पत्नि रामा वगैरह अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की न्यायालय हाजा व अन्य शाखाओं में ढूंढने पर मूल पत्रावली नही मिली हैं। वकील वादी के पास वादपत्र एवं अन्य दस्तावेजात उपलब्ध रहने से वकील वादी एवं प्रतिवादी की सहमति से उन दस्तवेजात की फोटो प्रतिया इस वादपत्र पत्रावली में प्रस्तुत की हैं, उक्त पत्रावली में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रतियों पर द्वितीयक साक्ष्य के रूप में पढ़े जाने हेतु उन पर प्रदर्श लगाने की ईस्तदूआ की हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं जमाबन्दी दस्तावेज सा.मि. किये गये। चूँकि मूल पत्रावली काफी प्रयास करने के बावजुद न्यायालय हाजा में नही मिल पा रही है उक्त अनवान की राजस्व वाद पत्रावली 201/2012 कमला पत्नि रामा बनाम रामा पुत्र हीरा वगैरह उसी नम्बर पर दर्ज किया जावें। मूल वाद पत्रावली मिलने पर इस पत्रावली के संलग्न की जावें। उभयपक्षकारान वकुलाय को सूचित किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 14.11.2017 को पेश हों। SDO	Noted Ramlal
14/11/17	पत्रावली पेश हुई। वादीया मय वकील को बार-बार आवाजे दिलाई गई। वादीया मय वकील बिना कोई सूचना। इत्तला के आज अनु० रहे हैं। वकील मय वादीया बिना कोई सूचना। इत्तला के आज अनु० रहने से वादीया का वाद अदम पैरवी। अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नतीजा से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे। अन्दराज जावे। SDO	